रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 1985/श्रावण 31, 1907
No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 1985/SRAVANA 31, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985

अधिसूचना

सं 186/85-सी० ई० केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 675(अ) :— केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 123/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जून, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"3. पहले पैरा की शर्त (ख) और (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी वस्तुओं की निकासी, जो विश्व निविदा के अधीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का भारत में परियोजनाओं की प्रदाय के लिये शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में लाए गए माल से पूर्णत: या भाग विनिर्मित की गई हैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधि-नियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्-ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से, निम्नलिखित और शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(i) उक्त उपक्रम ऐसी वस्तुओं की निकासी के पूर्व, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के महाप्रबंधक या परियोजना प्रबंधक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी वस्तुएं विश्व निविदा के अधीन, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट भारत में परियोजना के लिये प्रदत्त किये जाने के लिये अपेक्षित हैं; और

(ii) उक्त उपक्रम, ऐसी वस्तुओं की उक्त निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या उतने बढ़ाये गये समय के भीतर जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के महाप्रबंधक या परियोजना प्रबंधक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी वस्तुएं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट परियोजनाओं पर वास्तव में प्राप्त की गई हैं और विनिर्दिष्ट परियोजनाओं में उपयोग किये जाने के लिये आशयित हैं।" ;

(ख) परिशिष्ट में,—

(i) पैरा (अ) में "केवल निर्यात के लिये माल के विनिर्माण में हों"

हो" शब्दों के स्थान पर "निर्यात के लिये माल के विनिर्माण में या भारत में उत्पादित या विनिर्मित और विक्रय के लिये अनुज्ञात की गई वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करके पच्चीस प्रतिशत तक निकासियों के लिये या विश्व निविदा के अधीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भारत में परियोजनाओं को प्रदत्त किये जाने के लिये निकासियों के लिये" शब्द रखे जायेंगे ;

(ii) परा (ङ) में,—

(अ) "(केवल) निर्यात के लिये आशयित वस्तु के विनिर्माण में" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(केवल) निर्यात के लिये आशयित वस्तुओं के विनिर्माण में या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय करके, भारत में उत्पादित या विनिर्मित और विक्रय के लिये अनुज्ञात की गई वस्तुओं की, पच्चीस प्रतिशत तक निकासियों के लिये या विश्व निविदा के अधीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भारत में परियोजनाओं को प्रदत्त किये जाने के लिये निकासियों के लिये" कोष्ठक और शब्द रखे जायेंगे ;

(ब) "निर्यात के लिये आशयित वस्तु के विनिर्माण के लिये" शब्दों के स्थान पर "निर्यात के लिये आशयित वस्तुओं के विनिर्माण के लिये या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क का संदाय करके भारत में उत्पादित या विनिर्मित और विक्रय के लिये अनुज्ञात की गई वस्तुओं की, पच्चीस प्रतिशत तक निकासियों के लिये या विश्व निविदा के अधीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भारत में परियोजनाओं को प्रदत्त किये जाने के लिये निकासियों के लिये" कोष्ठक और शब्द रखे जायेंगे ।

[फा. सं. 71/58/84-सी० एक्स० 2]

चन्द्र पी० श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd August, 1985

NOTIFICATION

NO. 186/85-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 123/81-Central Excises, dated the 2nd June, 1981, namely :—

In the said notification,—

(a) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"3. Notwithstanding anything contained in conditions (b) and (c) of the first paragraph, clearances of the articles manufactured wholly or partly from the goods brought into a hundred per cent export-oriented undertaking for supply to the Oil and Natural Gas Commission for their projects in India against global tender shall also be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), subject to the following further conditions, namely :—

(i) the said undertaking produces a certificate to the Assistant Collector of Central Excise, prior to the clearance of such articles, from the General Manager or the Peroject Manager of the Oil and Natural Gas Commission to the effect that such articles are required to be supplied against global tender to the Oil and Natural Gas Commission for their project in India specified in the certificate ; and

(ii) the said undertaking produces to the Assistant Collector of Central Excise, within three months from the date of the said clearance of such articles or such extended period as may be allowed by the Assistant Collector of Central Excise, a certificate from the General Manager or the Project Manager of the Oil and Natural Gas Commission to the effect that such articles have actually been received by the Oil and Natural Gas Commission at the specified project and are intended for use in the specified project.";

(b) in the Appendix,—

(i) in paragraph (j), for the words "manufacture of articles for export only", the words, brackets and figures "manufacture of articles for export or for clearances upto twenty-five per cent of the articles produced or manufactured and allowed to be sold in India on payment of duty of excise leviable under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or for clearances for supply to the Oil and Natural Gas Commission for their projects in India against global tender" shall be substituted ;

(ii) in paragraph (n),—

(A) for the words and brackets "in the manufacture of articles intended (solely) for export", the words, brackets and figures "in the manufacture of articles intended (solely) for export or for clearances upto twenty-five per cent of the articles produced or manufactured and allowed to be sold in India on payment of duty of excise leviable under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or for

clearances for supply to the Oil and Natural Gas Commission for their projects in India against global tender" shall be substituted ;

(B) for the words "for manufacture of articles intended for export only", the words, brackets and figures "for manufacture of articles intended for export or for clearances upto twenty-five per cent of the articles produced or manufactured and allowed to be sold in India on payment of duty of excise leviable under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or for clearances for supply to the Oil and Natural Gas Commission for their projects in India against global tender" shall be substituted.

[F. No. 71|58|84-CX. 2]

CHANDRA P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985